ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-91-94**,YEAR-2015

ग्रामीण महिलाओं में स्वयं सहायता समूह की भागीदारी

❑ **डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव**

सारांश– *ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम् भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण महिलायें इन समूहों से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। इस वजह से सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वयं सहायता समूह को तवज्जो दिया जा रहा है। इन समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएँ अपनी पहचान तो बना ही रही हैं, गाँव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ''यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा।''–पं. जवाहरलाल नेहरू किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाएँ समाज का अभिन्न अंग हैं। अतः महिलाओं का विकास करके ही सार्वभौमिक विकास की कल्पना को साकार करना सम्भव है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह अहम् भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़कर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। बल्कि इससे उनमें स्वावलम्बन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। निःसंदेह रूप से स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से महिलाओं की स्थिति एवं दशा में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।स्वयं सहायता समूह के जरिये लघु–वित्त प्राप्त करके महिलाएँ, गरीबी को समाप्त कर सकती है।*

स्वयं सहायता समूह ऐसे गरीब लोगों का समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। आस–पास के लोग अपनी इच्छा से एक स्वयं सहायता समूह में संगठित होकर अपने समक्ष उपस्थित विशिष्ट समस्याओं, जिन्हें वे अकेले हल नहीं कर सकते, उनसे निपटने के लिये बैठक में चर्चा करते हैं। समूह को संस्थागत रूप देने के लिए हर सदस्य नियमित रूप से हर सप्ताह या 15 दिन में समूह द्वारा निश्चित राशि की बचत करते हैं। यह बचत आगे चलकर समूह की शक्ति बन जाती है। समूह, सदस्यों की नियमित बचतों में से जरूरतमंद सदस्यों की उत्पादन अथवा उपभोक्ता की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देता है। स्वयं सहायता समूह लगभग एक जैसे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले ऐसे ग्रामीण लोगों का समूह होता है जो अपनी इच्छा से संगठित होता है। समूह के सभी सदस्य नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं। समूह द्वारा इस राशि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपसी लेन–देन द्वारा किया जाता है। समूह के सदस्य हफ्ते, पन्द्रह दिन या महीने में एक बार बैठक कर, विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। बैठक के दौरान ही राशि जमा की जाती है और ऋण का लेन–देन भी किया जाता है। बैठक में किये गये लेनदेन का पूरा लेखा–जोखा रखा जाता है। विभिन्न विषयों पर चर्चा को कार्यवाही पुस्तक में लिखा जाता है। भारत के संविधान द्वारा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु प्रस्तावना एवं राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित की गयी है। इन विकास कार्यक्रमों पर असंख्य धन खर्च करने के बाद भी अपेक्षित परिणामों का अभाव रहा है। राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी एवं प्रशासनिक

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, (म0प्र0) भारत

उदासीनता इसके प्रमुख कारण कहे जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने और पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु ''स्वयं सहायता समूहों'' की उत्पत्ति हुई है। ''स्वयं सहायता'' के सिद्धांत से यह महसूस किया गया कि समाज का गरीब वर्ग असंगठित होकर कार्य कर रहा है। उसमें इतना आत्मविश्वास जाग्रत किया जाय कि यह विकासोन्मुखी परिवर्तन को अपनाएँ और समुचित लाभ उठाने की क्षमता का उसमें रोपण किया जाये। इस तरह उसका उत्थान स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। इसके लिये उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि संगठित होकर स्वयं सहायता के माध्यम से वे विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने हेतु अभिप्रेरित किया जाये, जिनका क्रियान्वयन समूह के माध्यम से उनके द्वारा स्वयं किया जाय। ऐसा होने से यह वर्ग भी विकास का एक अंग बनकर अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक योगदान करके उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

स्वयं सहायता समूह का उपयोग 1970 के दशक के आरम्भ से शुरू हुआ। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए समूह गठन की कवायद शुरू की गयी। ग्रामीण भारत में स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने वाली निर्धन महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि हो रही है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियाँ बनाना है। इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिये सहयोग करना, समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था बढ़ाना आदि है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में करीब 30 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। ये व्यापक समूहों की जरूरतों को लेकर काम करते हैं। जैसे–किसान, दस्तकार, मछुआरे, विकलांग, सामाजिक रूप से पिछड़े समूह, वृद्ध, किशोर–किशोरियाँ और महिलायें। मार्च 2002 के अंत तक स्वयं सहायता समूह व बैंक सम्बंध कार्यक्रम के अंतर्गत में 461478 स्वयं सहायता समूहों में 78 मिलियन परिवार शामिल थे, जिनमें 60 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ थी। सदस्यों ने 1026.30 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये। इस कार्यक्रम में 2155 गैर सरकारी संस्थाएँ और अन्य संगठन शामिल थे। इसे विश्व में सबसे बड़ा सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम माना जाता है। इस कार्यक्रम को कुछ दिन पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने कहा था कि ''समाज के गरीब वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाना सरकार का मुख्य आधार है।'' ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून 2011 के ''आजीविका मिशन''शुरू किया। इसके तहत देश के छह लाख गाँवों 2.5 लाख पंचायतों, 6000 ब्लाकों एवं 600 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों को इसके दायरे में लाया गया। भारत ही एक ऐसा देश है। जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये ऐसी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना चलाई जा रही है। इस समूह के लिये ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1000 सदस्यों के 50 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए अधिकतम 2.15 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिये गये ऋण का 25 प्रतिशत व उनकी बचत का 5 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस समूह को प्रोन्नत करने के लिए दो हजार से अधिक गैर सरकारी संस्थायें कार्यक्रम चला रही हैं। स्वयं सहायता समूह को प्रोन्नत करने वाली कुछ गैर सरकारी संस्थायें इस प्रकार हैं–प्रदान, नवभारत, जागृति केन्द्र (एन.बी.जे.के.) बीहाई, मईरादा(एम.वाई.आर.ए.डी.ए.) धान फाउण्डेशन और एसोसिएशन ऑफ सर्व सेवा फार्मस् आदि। कुछ संस्थायें मुख्यतः उन महिलाओं को लेकर काम करती है, जिनके पति नहीं है या तो वे विधवा या तलाकशुदा है। इस स्वयं सहायता समूह का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से गरीबी पूरी तरह से मिटाने के लिये प्रदेश सरकार की कोशिश चल रही है। गरीबों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए एक अप्रैल से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना लागू कर दी गयी है। इसके लिये सरकार ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गयी थी। इसमें दस परिवारों के

एक–एक सदस्यों को मिलाकर स्वयं सहायता समूह बनाया गया था। जिन्हें बैंक से ऋण मिलता था उन्हें रेशम, पशुपालन आदि व्यवसाय के लिये ऋण दिया जा सके। सरकार का मानना है कि यदि गरीब परिवार को उनकी संस्थायें बनाने में समुचित सहयोग किया जाय तो वे सात वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं। यही सोच कर सरकार ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य दस वर्ष रखा है। इस स्वयं सहायता समूह का ज्वलंत प्रमाण है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के भारदा ब्लाक की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंक ऋण प्राप्त करके गरीबी रेखा के ऊपर उठकर अपनी आय व जीवन स्तर में सुधार किया। इसी क्रम में राजस्थान के जयपुर जिले के कस्बे चौंमू के निकटस्थ गांव उदयपुरिया की ग्रामीण महिलाओं ने श्यामा स्वयं सहायता समूह और आरती स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित होकर चमड़े की जूतियों (मोजड़ी) का कार्य प्रारम्भ किया और इस कार्य के सम्पादन से न केवल ये महिलाएँ गरीबी के दश सेमुक्त हुई है। अपितु उनके परिवार के जीवन–स्तर में अपेक्षित सुधार आया है। बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो गई तथा उनके रहन–सहन, आवास व स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर की जुझारू ग्रामीण महिला किसान लल्ला देवी ने महिल स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया तथा जिला स्तर पर 'नारी मंच' का गठन करके महिलाओं से सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के विरुद्ध आवास बुलंद की। स्वयं सहायता समूह के कारण ही महिला सदस्यों ने मद्यपान के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य के मद्यपान पर प्रतिबंध लगाया गया जिसके सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर परिलक्षित हुए। इस प्रकार तमाम ऐसी संस्थाएँ है जो इस तरह के समूह के माध्यम से भारत जैसे देश में कमजोर वर्ग को साथ में लेकर उन्हें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक रूप से स्वावलम्बी होने के साथ ही महिला समस्याओं के प्रति जागरुक एवं सचेत कर रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयं सिद्धा योजना के तहत गठित समूह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके ऋण की सुविधा से लाभान्वित होते हुए महिला सशक्तीकरण की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। साथ ही महिलाएँ, परिवार, समाज व देश की प्रगति की नींव है। नींव को सशक्तव मजबूत बनाये जाने पर ही सुदृढ़, विशाल एवं भव्य इमारत की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इस तथ्य को स्वयं सहायता समूहों के सफल क्रियान्वयन के मार्ग में विद्यमान विभिन्न अवरोधों का निवारण करके स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, इनके सफल क्रियान्वयन व प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने होंगे। ऐसा करके हम भारत को वास्तविक अर्थों में समृद्ध, विकसित एवं समतामूलक राष्ट्रों की श्रेणी में ला सकते हैं। साथ ही जो महिलाओं के सशक्तिकरा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये रहे हैं, जिसके अन्तर्गत स्वयं सिद्धा, स्वशक्ति, समेकित, महिला सशक्तिकरण एवं विकास परियोजना, हरियाणा, स्टेप हेतु स्वावलम्बन महिला विकास एवं सशक्तिकरण हेतु दूरस्थ शिक्षा, किशोरी शक्ति, राष्ट्रीय महिला कोष के अन्तर्गत प्रावधान, बालिका समृद्धि योजना स्वाधार तथा सहयोगी सेवायें जैसे–कामगार महिलाओं हेतु छात्रावास, आवासीय सुविधायें इत्यादि। महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक पुरस्कार, योजनायें भी संचालित की जा रही है, जैसे–स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना। इसके अतिरिक्त अनेकों कानून बने हैं। जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु चल रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठित महिलायें सामाजिक स्तर पर भी अपनी प्रभावशाली भूमिका को पहचानना सीखती है। मित्र महिलायें मिलकर सामाजिक कुरूतियों का बहिष्कार कर अपने समाज से पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने में सहायक होती है। जैसे–शराब खोरी, दहेज, जुआ, बाल–विवाह, अनेक समस्याओं के कारण महिलायें त्रासित रहती है। यह भूमिका महिलाओं की सामाजिक सशक्तता को बढ़ाती है तथा स्वयं सहायता समूह समाज में एक मजबूत सामूहिक नेतृत्व का कार्य कर रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक जागरण, वर्ष 2015, कानपुर मण्डल, पृ.सं.12, दिनांक 12 मई।
2. ग्रामीण निर्धनता (निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का मूल्यांकन), डॉ. पदमावती, 1991, पृ.सं.40
3. कुरुक्षेत्र–ग्रामीण विकास को समर्पित, जुलाई 2013, वर्ष 59, अंक 09, पृ.सं.09–11.
4. योजना 1996, वर्ष सिंह, जून, पृ.सं.32
5. कुरुक्षेत्र, जुलाई 2013, पृ.सं.5, 15–16
6. citizen SBI, Instant, pp.29

*****